राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1374/2018...जिला.........जयपुर...

मैसर्स शार्प बिजनिस सिस्टम (इण्डिया) प्रा0लि0, अजमेर रोड़, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत-XI, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य**	
29.11.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2018 अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 83,02,776/– में से रू0 44,15,468/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया एवं शेष बकाया मांग राशि रू0 41,08,082/– को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 41,08,082/– की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.11.2018 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। **लगातार..............2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1374/2018...जिला..........जयपुर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/11/2018	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में हमारे समक्ष मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर किये गये करारोपण को आक्षेपित किया है जिसमें (i) Solar Lights की बिक्री को करयोग्य मानते हुए कर रूपये 71,659/- एवं ब्याज आरोपित किया गया है; (ii) LED panels की बिक्री पर अंतर कर रूपये 24,075/- व इस पर आरोपित ब्याज; एवं (iii) होम एपलाएन्सेज में दर्शाई गई तथाकथित असाधारण प्रतिशत में हुई हानि (loss claimed in abnormally high percentage) को अस्वीकार करते हुए रूपये 1,75,00,000/- की अनुमानित बिक्री पर कर रूपये 21,12,000/- एवं इस पर ब्याज का आरोपण किया गया है। प्रकरण में करारोपण की इन मदों में से होम एपलायन्सेज की बिक्री तथाकथित रूप से कम दर्शाकर अत्यधिक हानि दर्शाने को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर अनुमानित बिक्री पर इस बिन्दु पर किये गये कर एवं ब्याज आरोपण के सम्बन्ध में व्यवहारी के पक्ष में आंशिक रूप से सुविधा संतुलन पाया जाता है। अतः आरोपित कर रूपये 21,12,000/- एवं इस पर आरोपित ब्याज (आनुपातिक) रूपये 18,17,943/- कुल रूपये 39,29,943/- में से 50 प्रतिशत राशि अर्थात रूपये 19,64,972/- की वसूली पर अपील निर्णय तक स्थगन प्रदान करना यह खण्डपीठ उचित समझती है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि में से रूपये 19,64,972/- की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उनके समक्ष लम्बित अपील पर नियमित रूप से सुनवाई करते हुए उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (ओमकार सिंह आशिया) सदस्य (मदन लाल मालवीय) सदस्य	